

ज्ञापांक :-

मुजफ्फरपुर, दिनांक :-

कार्यालय आदेश

प्रेषित :-

सभी विभागाध्यक्ष, (क्लीनिकल / नन क्लीनिकल / पारा क्लीनिकल)
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

विदित हो कि सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - 1488(1) दिनांक - 14.11.2019 एवं एम0सी0आई0, न्यू दिल्ली के पत्र संख्या - 156386 दिनांक - 18.10.2019 के संदर्भ में कॉलेज वेबसाईट को अध्यतन करने हेतु वांछित डाटा को वेबसाईट पर अपटुडेट करना अनिवार्य है। जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या - 2790/19 दिनांक - 07.12.2019 द्वारा सूचित किया गया था। पुनः आपको कहना है कि अपने विभाग में एक पदाधिकारी / कर्मचारी को कॉलेज वेबसाईट का मोनेटरिंग हेतु नियुक्त करें, जिसमें वे खुद कॉलेज वेबसाईट skmedicalcollege.org पर जाकर अपने-अपने विभाग से संबंधित डाटा को अध्यतन / अपटुडेट करना सुनिश्चित करेंगे। जो भी नवनियुक्त एवं कार्यरत चिकित्सक / शिक्षक / कर्मचारी / नर्स / ईन्टर्स एवं अन्य कर्मचारी है, जिनका वेबसाईट पर डाटा अपलोड नहीं है उनको फार्म (Annexure-IA विभागाध्यक्ष के लिए एवं Annexure-IB सभी चिकित्सक / शिक्षक / कर्मचारी के लिए) भरकर यथाशिघ्र कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर वेबसाईट अध्यतन / अपटुडेट नहीं होने के स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे।

साथ ही विभागाध्याक्षगण अपने-अपने विभाग से संबंधित एम0सी0आई0, न्यू दिल्ली के मानक के अनुसार (जिसकी छाया प्रति संलग्न) संबंधित सूचना एवं अन्य सूचना याथाशिघ्र श्री कुन्दन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-सहा लेखापाल, लेखाशाखा, प्राचार्य कार्यालय से सम्पर्क कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0 / -


प्राचार्य


अनुलग्नक:- यथोक्त।

ज्ञापांक :- 1080/20
प्रतिलिपि:-

दिनांक :- 16-4-2020

- 1) पुस्तकालय सचिव / प्रभारी प्राध्यापक (प्र0) / ई-स्टेट ऑफिसर / वार्डन / Student Section Officer In-Charge, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एम0 सी0 आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2) स्थापना लिपिक / श्री सुर्य प्रकाश मेहता, लिपिक, प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 3) श्री कुन्दन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-सहा लेखापाल, लेखाशाखा, प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4) सविच, M/s Shakti Corporation A-12, P.C.Colony Kankarbagh Patna800020, Mob:- 9801666662, info@shakti-corporation.com को सूचनार्थ एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना वेबसाईट पर अपलोक कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5) सूचना पट्ट / आई टी0 शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनाथ प्रेषित।


16/4/2020
प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

16-4-20

प्राचार्य का कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक :-

मुजफ्फरपुर, दिनांक :-

कार्यालय आदेश

विदित हो कि सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - 1488(1) दिनांक - 14.11.2019 एवं एम0सी0आई0, न्यू दिल्ली के पत्र संख्या - 156386 दिनांक -18.10.2019 के संदर्भ में कॉलेज वेबसाईट को अध्यतन करने हेतु वांछित डाटा को वेबसाईट पर अपटुडेट करना अनिवार्य है, जिसके आलोक में सभी विभागाध्यक्ष skmedicalcollege.org पर जाकर अपने-अपने विभाग से संबंधित डाटा को यथाशीघ्र अध्यतन/अपटुडेट करना सुनिश्चित करेंगे। एवं आपके अधिनस्थ जो भी नवनियुक्त एवं अन्य चिकित्सक/शिक्षक/कर्मचारी (अस्पताल के कर्मचारी सहित) कार्यरत हैं, जिनका वेबसाईट पर डाटा अपलोड नहीं है उनको फार्म (Annexure-IA विभागाध्यक्ष के लिए एवं Annexure-IB सभी चिकित्सक/शिक्षक/कर्मचारी के लिए) भरकर यथाशीघ्र कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभागाध्याक्षगण अपने-अपने विभाग से संबंधित एम0सी0आई0, न्यू दिल्ली के मानक के अनुसार (जिसकी छाया प्रति संलग्न) संबंधित सूचना यथाशीघ्र श्री कुन्दन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-सहा लेखापाल, लेखाशाखा, प्राचार्य कार्यालय से सम्पर्क कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक:- यथोक्त।

ह0/-

प्राचार्य

ज्ञापांक :- 2790/19

दिनांक :- 7/12/19

- प्रतिलिपि:-
- 1) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों का डाटा वेबसाईट पर अपलोड करवाना एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 2) सभी विभागाध्यक्ष/सभी नोडल पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों का डाटा वेबसाईट पर अपलोड करवाना एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 3) प्राचार्य, जी0एन0एम0 स्कूल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों का डाटा वेबसाईट पर अपलोड करवाना एवं वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 4) पुस्तकालय सचिव/प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/ई-स्टेट ऑफिसर/वार्डेन/Student Section Officer In-Charge, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एम0 सी0 आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 5) स्थापना लिपिक/श्री सुर्य प्रकाश मेहता, लिपिक, प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना आई0 टी0 शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 6) श्री कुन्दन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-सहा लेखापाल, लेखाशाखा, प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 7) सविच, M/s Shakti Corporation A-12, P.C.Colony Kankarbagh Patna800020, Mob:- 9801666662, info@shakti-corporation.com को सूचनार्थ एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार वांछित सूचना वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 8) सूचना पट्ट/आई0 टी0 शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनाथ प्रेषित।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर।
7/12/19

As Head
Kundu
28/11

सं०सं०-1 / विविध-14 / 2018(पार्ट-1)- 1488(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य / अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।
अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया।
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा।
निदेशक,
इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक- 14 / 11 / 2019

विषय:- संस्थान के बेवसाइट को अपडेट/अपग्रेड करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों/आई0जी0आई0सी0, पटना/आई0जी0आई0 एम0एस0, पटना की विभिन्न मासिक समीक्षात्मक बैठकों में संस्थान के बेवसाइट को अपडेट/अपग्रेड करने का निदेश दिया गया है।

2- अनुरोध है कि एम0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित Indicators के आलोक में संस्थान के बेवसाइट को अपडेट/अपग्रेड कराते हुए संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No. 11451/19
Date: 28/11/19
Receiver Sign

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036

फैक्स / Fax : 0091-11-25367024

ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in

वेबसाईट / Website : www.mciindia.org



पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,

फेस-1, नई दिल्ली-110077

Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,

Phase - 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI-34(41)(UG)(Gen.)/2019-Med/ 156 386

Date: 18.10.19

To,

The Principal,
All the Medical Colleges
(As per list)

Sub.-: Implementation of Clause B.1.11 of Regulations on Minimum Standard Requirement for Medical Colleges for 50/100/150/200/250 Admission Annually, 1999 as amended from time to time - Reg.

Sir/Madam,

Kindly refer to this office letter No. MCI-34(41)(UG)(Gen.)/2018-Med./177808 dated 19.02.2019 inviting your kind attention to Clause B.1.11 of Regulations on Minimum Standard Requirement for Medical Colleges for 50/100/150/200/250 Admission Annually, 1999 as amended in 2008, 2009, 2010 & 2019 wherein it has been prescribed that each medical college/ institute shall have its own website and the following details have to be updated in the first week of every month shall be provided :-

a) Each and every college /institute shall have its own website wherein a hyperlink shall be made available as 'Information under MSR Clause B.1.11' on the Home page of the Website, which shall contain the following details in the form of sub links, to be updated in the first week of every month: -

- Details of Dean/ principal & Medical Superintendent including their names, qualifications, complete address with Telephone numbers, fax and E-mail IDs
- Details of Teaching as well as non-teaching staff.
- Details of sanctioned intake capacity of various UG & PG courses.
- List of students admitted merit wise, category wise for the current and previous year for all UG & PG courses.
- Research publication during the last one year.
- Details of CME programmes, conferences and academic activities conducted by the institution.
- Details of any awards and achievement received by the students or the faculty.
- Details of affiliating University and its Vice Chancellor and Registrar.
- Result of all examinations of last one year.
- Details of status of recognition of all the courses.
- Details of the clinical material in the hospital.

b) Each and every college/institute shall maintain Daily Biometric Attendance Dashboard of human resources as specified in these regulations. The Attendance Dashboard shall be provided as a sub link under the main link 'Information under MSR Clause B.1.11' on Home page of the College website under heading 'Biometric attendance Dashboard.

2. In order to ensure the compliance of above regulation, the Council has again reviewed, at random, the websites of a few Medical Colleges of Govt. and Pvt. Sector as well. It has been observed that a large number of Medical Colleges are not putting the above information on the Home page of their websites under a distinct link and not updating the same on regular basis i.e. in the first week of every month.

3. In view of above, you are directed that in addition to other information on home page of the Website of your Medical College, you must provide a parallel link namely, - 'Information under Clause 'B.1.11' of Minimum Standard Requirement Regulations, 1999 and as amended'; under which 'sub-links' with regard to all the points from (a) to (k) of the Clause should be provided with a date on which it is last updated. The college's website must be updated with above provision, **otherwise strict action will be taken against your college** as per the Regulations of the Council and send a compliance report to this Council.

**Office of the Principal
S. K. Medical College,
Muzaffarpur**

Annexure-IA

HOD Details :-

Name :-	Photo
Designation :-	
Department :-	
Qualifications :-	
Date of Joining as a HOD :-	
Contact no. :-	
Email :-	
Address :-	
Pin code :-	

Department head Stamp and Signature

**Office of the Principal
S. K. Medical College,
Muzaffarpur**

Annexure-IB

Employee (Teaching /Non Teaching):-

Name :-	Photo
Designation :-	
Department :-	
Qualifications :-	
Contact no. :-	
Email :-	
Address :-	
Aadhar No. :-	
Pan Card :-	
Dated of Joining :-	
Pin code :-	

Department head Stamp and Signature